

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस0 के0 शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 16-7-2012

विषय :- मॉग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-20 पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुर्नस्थापन कार्य, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 43 अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण, विपत्र कोड-50P470200796200543 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2012-2013 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु० में)
1	2	3	4	5
1.	50-लघु सिंचाई विभाग / 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना / 20 पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुर्नस्थापन कार्य	05-निर्माण, 43 अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण / 50P470200796200543	158.00

आवंटित राशि - ₹ एक करोड़ अन्दावन लाख मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2012-2013 के बजट उपबंध ₹ 350.00 लाख (₹ तीन करोड़ पचास लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि०) दि० 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि०)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(बी० सी० निगम)
विशेष सचिव

W

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

L1
(एस0 के0 शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- ६।

राँची, दिनांक :- 16-7-2012

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. — हिन्डू राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/खूँटी/जमशेदपुर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

L1
(एस0 के0 शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- ६।

राँची, दिनांक :- 16-7-2012

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, सचिव, योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख —I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(ऑंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

L1
(एस0 के0 शतपथी)
प्रधान सचिव

मौग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग,
मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोगना,
उपशीर्ष-20-पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य
विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 43 अनुरक्षण, मरम्मत एवं सुसज्जीकरण,
विपत्र कोड-50P470200796200543
बजट उपबंध (वर्ष 2012-13) रु. 350.00 लाख

राशि (लाख ₹मे)

क्र.	लघु सिंचाई प्रमंडल	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन						अभ्युक्ति		
					प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	मार्च 12 तक व्यय	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
मध्यम सिंचाई योजना का पुनर्स्थापन															
1	लघु सिंचाई प्रमण्डल, खूँटी	रैची	बुण्डू	1	हुरली मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	46/03.03.11	80.160	28.644	0.000	25.000	25.000				
योग															
0.000													25.000	25.000	
उद्वह सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन।															
2	लघु सिंचाई प्रमण्डल, खूँटी	खूँटी	खूँटी	1	जमुआदाग उंसिंयो० का पुनर्स्थापन	50/07.03.11	6.750	0.556	0.000						
			मुरहू	2	माहिल उंसिंयो० का पुनर्स्थापन	50/07.03.11	9.280	1.993	0.000	20.000	20.000				
			राहे	3	नावाडीह उंसिंयो० का पुनर्स्थापन	50/07.03.11	21.000	12.388	0.000						
			सोनाहातु	4	ईयाहातु उंसिंयो० का पुनर्स्थापन	26/10.12.10	33.180	17.785	0.000	5.000	5.000				
			योग						0.000	25.000	25.000				
3	लघु सिंचाई प्रमण्डल, रैची	रैची	काँके	1	बोरया (उत्तर) उ.सि.यो.का पुनर्स्थापन	50/07.03.11	4.250	2.641	0.000						
			काँके	2	बोरया (दक्षिण) उ.सि.यो.का पुनर्स्थापन		6.100	0.760	0.000						
			सिल्ली	3	बिसरिया (पूर्व) का उ.सि.यो. का पुनर्स्थापन		20.280	8.760	0.000						
			सिल्ली	4	बिसरिया (पश्चिम) उ.सि.यो. का पुनर्स्थापन		22.670	7.290	0.000	40.000	40.000				
			अनगड़ा	5	तुरुप उ.सि.यो. का पुनर्स्थापन		23.570	12.600	0.000						
			अनगड़ा	6	जामुआरी उ.सि.यो. का पुनर्स्थापन		27.800	19.130	0.000						
			अनगड़ा	7	मासू उ.सि.यो. का पुनर्स्थापन		27.820	27.940	0.000	40.000	40.000				
			योग							0.000					

am

(ओंकार नाथ)

सहायक अभियंता

62

(जयप्रकाश शंकरनाथी)

उपसचिव (अभि.)

45

(सुबोध कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि.)

12

(बी. सी. निगम)

विशेष सचिव

11

(एस0 के0 शतपथी)

प्रधान सचिव

क्र.	लघु सिंचाई प्रमंडल	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन					अभ्युक्ति
					प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	मार्च 12 तक व्यय	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

तालाब योजनाओं का पुनर्स्थापन।


4	लघु सिंचाई प्रमण्डल, सैची	सैची	सिल्ली	1	साहेबबाँध तालाब योजना का पुनर्स्थापन	57/28.03.11	168.480	150.000	0.000	18.000	18.000
योग								0.000	18.000	18.000	


सिंचाई कूप


5	लघु सिंचाई प्रमण्डल, सैची	सैची	बुडमु	1	48 अदद 20' व्यास के कूप	6/22.05.10 & 7/02.06.10	248.500	46.615	0.000	10.000	10.000
			ओरमांझी	2	1 अदद 20' व्यास के कूप				0.000		0.000
			सिल्ली	3	2 अदद 20' व्यास के कूप				0.000		0.000
			काँके	4	3 अदद 20' व्यास के कूप				0.000		0.000
			माण्डर	5	4 अदद 20' व्यास के कूप				0.000		0.000
			चान्हो	6	5 अदद 20' व्यास के कूप				0.000		0.000
			रातु	7	6 अदद 20' व्यास के कूप				0.000		0.000
			बेडो	8	7 अदद 20' व्यास के कूप				0.000		0.000
			योग								0.000


मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार


6	लघु सिंचाई प्रमण्डल, जमशेदपुर	पू० सिंहभूम	पटमदा	1	साहेबबाँध तालाब योजना का जीर्णोद्धार	56/28.03.11	138.370	50.000	0.000	40.000	40.000	
								योग	0.000	40.000	40.000	
								कुल योग	0.000	158.000	158.000	
आवंटित राशि — ₹ एक करोड़ अन्दाजन लाख मात्र।												


(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता


(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उपसचिव (अभि.)


(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव


(एस0 के0 शतपथी)
प्रधान सचिव

81
16-7-2012